



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

वसाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 1991/वैशाख 9, 1913  
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 1991/VAISAKHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

( परिवहन पक्ष )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1991

का. आ. 301 (अ) :—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 213 की  
उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, जल-भूतल  
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना संख्या 443 (अ) दिनांक 12-6-1989 में निम्नलिखित  
संशोधन करती है, अर्थात् :—

1184 GI/91

(1)

1. उक्त अधिसूचना में मद (2) के लिए "अर्हता" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

- "(2) (1) आटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) या  
(2) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) या  
(3) उपर्युक्त विषयों में से किसी में कोई ऐसी अर्हता जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समतुल्य घोषित किया गया हो।"

2. उक्त अधिसूचना में खण्ड 2 के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- (2) इस अधिसूचना में निहित कोई बात ऐसे व्यक्तियों पर, जिसके नाम 1 जुलाई, 1989 से पहले राज्य सरकारों द्वारा मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक मोटर वाहन निरीक्षक (जिन नामों से भी पुकारा जाता हो) के पद पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन थे। अथवा 1 जुलाई, 1989 से पहले ऐसे पद पर नियुक्त किसी अधिकारी पर अथवा गैर-तकनीकी स्वरूप के कार्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी पर लागू नहीं होती।

[फा. सं. आरटी-11036/1/91—एम. वी. एल.]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1991

S.O. 301 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing, No. 443 (E) dated 12-6-1989, namely:—

1. In the said notification under the heading "Qualification" for item (2) the following item shall be substituted, namely:—

- "(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or  
(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or  
(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government".

. In the said notification for clause 2, the following clause shall be substituted, namely:—

2. Nothing contained in this notification shall apply to persons whose names were under consideration for appointment to the post of Inspector of Motor Vehicles or Assistant Inspector of Motor Vehicles (by whatever names called), by the State Governments prior to first day of July, 1989 or to an officer appointed to such post before the first day of July, 1989 or to an officer appointed to discharge functions of a non-technical nature.

[F. No. RT-11036|1|9-M.V.L.]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.